न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 10/2012 (रा.प्रा.पत्र)
पंजीयन दिनांक 19.11.2012
G.C.M.S. NO. :- 2012/00033

1–भूरालाल पिता सोहन जी जाति बाबा, आयु वयस्क, निवासी हरनाथपुरा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़
2–मु. रामीबाई पत्नि शम्भुलाल जी जाति बाबा, आयु वयस्क, निवासी हरनाथपुरा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़

–प्रार्थीगण

बनाम

1–गोवर्धन पिता रोड़ा जी जाति खटीक, आयु वयस्क, निवासी हरनाथपुरा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़
2–सरकार जरिये तहसीलदार राशमी, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू आवंटन नियम, 1970 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं भूआवंटन कमेटी, कपासन बमिसल क्रमांक 42/92 आवंटन दिनांक 17.07.1992

उपस्थितिः–1– श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्र. सं. 10/2012 (रा.प्रा.पत्र)

भूरा पिता सोहन जी जाति बाबा निवासी हरनाथपुरा तहसील राशमी वगैरा बनाम गोवर्धन पिता रोड़ा जी खटीक निवासी हरनाथपुरा, तहसील राशमी वगैरा

निर्णय

दिनांक 04.07.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू आवंटन नियम, 1970 के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि विपक्षी संख्या 1 को मौजा देवपुरा, तहसील राशमी की आराजी नम्बर 246 रकबा 07 बिस्वा भूमि भू आवंटन कमेटी द्वारा बिना किसी जांच पड़ताल के आवंटित कर दी। उक्त आवंटित भूमि पर विपक्षी संख्या 1 का कभी भी कब्जा-काश्त नहीं रहा है बल्कि उक्त भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण व उसके पूर्वज सोहन जी का नियमित कब्जा चला आ रहा है। जिससे विपक्षी संख्या 1 का आवंटन निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भैरूलाल वैष्णव ने अधिकार पत्र पेश किया। विपक्षी संख्या 2 भूमिधारी तहसीलदार है। संबंधित भूआवंटन पत्रावली तलब करने पर उपखण्ड अधिकारी, कपासन ने उक्त पत्रावली उपलब्ध नहीं होने के संबंध में अवगत कराया उसके पश्चात् विपक्षी संख्या 1 व उसके अधिवक्ता के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थीगण सुन प्रकरण गुणावगुण पर देखा।

अधिवक्ता प्रार्थीगण का मुख्य कथन यह रहा कि अधीनस्थ भू आवंटन कमेटी द्वारा पारित आवंटन आदेश न्याय नियम एवं वाक्याति तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है क्योंकि अधीनस्थ भू आवंटन कमेटी ने बिना किसी जांच पड़ताल किये मौजा देवपुरा की आराजी नम्बर 246 रकबा 07 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 को आवंटित कर दी जो निरस्त योग्य है। विवादित आराजी नम्बर 246 एवं आराजी नम्बर 245 दोनों आराजीयात लगी हुई है एवं वक्त बिलानाम से उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वज सोहन जी का नियमित कब्जा चला आ

रहा है। आराजीयात पर पुराना कब्जा होने से आराजी नम्बर 245 रकबा 17 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण को आवंटित की व आराजी नम्बर 246 भी प्रार्थीगण के ही कब्जे काश्त में चली आ रही थी जिससे आराजी नम्बर 246 रकबा 07 बिस्वा भूमि वक्त आवंटन प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में थी फिर भी प्रार्थीगण को बेदखल किए बगैर उक्त आराजी विपक्षी संख्या 1 को आवंटित कर दी जो अपने आप में निरस्त योग्य है। उक्त आराजीयात पर आवंटन दिनांक से आज तक विपक्षी संख्या 1 का कब्जा नहीं होकर प्रार्थीगण का ही आराजी नम्बर 245 के साथ कब्जा चला आ रहा है उक्त समस्त तथ्यों को नजर अंदाज कर उक्त आराजी नम्बर 246 विपक्षी संख्या 1 को आवंटित कर दी जो निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 1 को आदेश दिनांक 17.07.1992 से किया गया आवंटन निरस्त करने का आदेश फरमाया जावे।

हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया एवं अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं प्रकरण गुणावगुण पर देखा। जिसके अनुसार अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में मौजा देवपुरा, तहसील राशमी की आराजी नम्बर 246 रकबा 7 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 को भू आंवटन कमेटी कपासन द्वारा आवंटित की गई है जिसका आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रथम तो अतिक्रमी के कब्जे की भूमि को ओक्यूपाईड़ भूमि नहीं माना जा सकता है। द्वितीय प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी के आवंटन बाबत कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया, यदि उक्त भूमि प्रार्थीगण के कब्जे में थी और प्रार्थीगण भू आवंटन का पात्र था तो उसे आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहिये था। आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये बिना उसे भूमि आवंटन करने बाबत भू आवंटन सलाहकार समिति विचार नहीं कर सकती। विपक्षी संख्या 1 द्वारा ग्राम देवपुरा, तहसील राशमी की आराजी नम्बर 246 में से भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर ही बाद जांच उसे भूआवंटन सलाहकार समिति की राय पर उपखण्ड अधिकारी कपासन ने उक्त भूमि आराजी नम्बर 246 रकबा 7 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 को आवंटित की एवं आवंटित भूमि का उन्हें कब्जा सिपुर्द किया गया।

विपक्षी संख्या 1 द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना करने से ही आराजी नम्बर 246 रकबा 7 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 के खातेदारी में दर्ज हो चुकी है तथा आवंटी को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं। विपक्षी संख्या 1 उसे आवंटनशुदा भूमि का खातेदार है और खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(राकेश कुमार)